कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Email-dfo.chamawat @rediffmail.com

पत्रांक 3051 / 12-1 दिनांक, चम्पावत 09-01- 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना के अन्तर्गत ज्वारनैणी से बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु *4.8338 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन में सीमांकन* कराने के संबंध में। FP/UK/ROAD/9552/2015**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0 /06/61/2015/एफ0सी0/272 दिनांक 31.05.2023 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्ररूनगत प्रकरण को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या – 8B/UCP/06/61/2015/FC/1525 दिनांक 08.10.2015 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें एन0पी0वी0 की धनराशि पुरानी दरों पर जमा की गई है। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र से जारी दिशा–निर्देश के अनुसार ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06 जनवरी 2017 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा दिनांक 06 जनवरी 2022 तक विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।

भारत सरकार के उक्त पत्र से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है–

1.	ईको–क्लास श्रेणी		
2.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	V^{th}
3.	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	=	0.3(30%)
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	=	10,05,210.00
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	4.8338
6.	पूर्वमेंजमा की गई एन0पी0वी0 धनराशि (रुपये)	=	4858984.00
7.	**वर्तमानमें देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)**	=	–3175807.00
	सोलह लाख तिरासी हजार एक सौ सत्हत्तर मात्र की धनराशि	–	**1683177.00**

कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

संख्या– **/दिनांकित।**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।